छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2013

(माघ-30, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री मनहरण लाल पाण्डेय, पूर्व लोकसभा सदस्य एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष- श्री रविन्द्र चौबे, सर्वश्री सौरभ सिंह, धर्मजीत सिंह, बद्रीधर दीवान, नारायण चंदेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी-सदस्य, श्री चंद्रशेखर साहू-कृषि मंत्री, श्री ननकीराम कंवर-गृह मंत्री, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी एवं श्री राजूसिंह ठाकुर-सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.30 बजे स्थगित होकर 11.41 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किए जाने हेतु श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य का नाम पुकारा गया। श्री रामदयाल उईके एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा झलियामार में 11 आदिवासी कन्याओं के साथ दुराचार संबंधी घटना का उल्लेख किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई एवं पर्चे लहराये गये। माननीय अध्यक्ष द्वारा पर्चे न लहराने हेतु प्रतिपक्ष के सदस्यों को निर्देशित किया गया। पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री धर्मजीत सिंह का नाम पुकारा गया। माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न नहीं किया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 2 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.47 बजे स्थगित की जाकर 12.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

3. दिसम्बर, 2012 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिसम्बर, 2012 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

4. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2012 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2013 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	वित्तीय कार्य		समय
1.	वर्ष 2012-2013 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	-	03 घंटे
2	वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है :-		
(1)	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	-	03 घंटे
(2)	श्री ननकीराम कंवर, गृहमंत्री	-	03 घंटे
(3)	श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री	-	03 घंटे
(4)	श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री	-	03 घंटे
(5)	श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(6)	श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री	-	03 घंटे
(7)	श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री	-	03 घंटे
(8)	श्री हेमचंद यादव, पंचायत मंत्री	-	03 घंटे
(9)	श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(10)	श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(11)	श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री	-	03 घंटे
(12)	सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(13)	श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2013 को भी सभा की बैठक होगी। शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2013 को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक का उपस्थापन पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा तृतीय विधान सभा के दिसम्बर, 2012 सत्र में पारित 6 विधेयकों में से सभी 6 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(6) श्री ताम्रध्वज साहू

8. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मेरे समक्ष प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक समान कुल 37 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव में घटना के अतिरिक्त सम्मिलित विषयों पर विचार कर इसे ग्राह्य कर नियम 57 को सदन की अनुमति की प्रत्याशा में शिथिल कर तत्काल सदन में लेने का निर्णय लिया है।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि कृपया ऐसी बातें नहीं करें जिससे पीड़ितों के परिवार को ठेस पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला कांकेर, विकासखंड नरहरपुर के ग्राम झलियामार के शासकीय आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राओं के साथ अनाचार किये जाने संबंधी 37 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से श्री बोधराम कंवर, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री बोधराम कंवर, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-
जल संसाधन मंत्री- श्री रामविचार नेताम, सदस्य सर्वश्री अजीत जोगी, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

अमरजीत भगत, (जारी)

(1.30 से 3.0 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री अमरजीत भगत, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती रेणुका सिंह, सर्वश्री रामदयाल उइके, फूलचंद सिंह, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, श्री ह्दयराम राठिया, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शिवकुमार डहरिया, आदिम जाति विकास मंत्री-श्री केदार कश्यप,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सदस्य सर्वश्री नंदकुमार पटेल, बैदूराम कश्यप, महंत रामसुंदर दास, महिला एवं बाल विकास मंत्री-सुश्री लता उसेंडी, सदस्य सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, सेवकराम नेताम, धर्मजीत सिंह, श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, अग्नि चंद्राकर, डॉ.शक्राजीत नायक, दूजराम बौद्ध, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री शिवराज सिंह उसारे, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्थगित कर कल दिनांक 20.2.13 को लिया जायेगा।

9. वर्ष 2012-2013 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2012-2013 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2013 की तिथि निर्धारित की ।

सायं 7.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 20 फरवरी, 2013 (फाल्गुन, 1 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा